प्रेस नोट

दिनांक: 07.07.2024 से 10.07.2024 तक सुप्रसिद्ध रथयात्रा मेले के अवसर पर यातायात डायवर्जन व्यवस्था।

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रथयात्रा मेला दिनांक: **07.07.2024 से 10.07.2024** तक चल रहा है। मेलें में होने वाली भीड़ की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए महानगर में सुगम यातायात के निमित्त यातायात का डायवर्जन निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. बी0एच0यू0 भेलूपर की तरफ से रथयात्रा की तरफ आने वाले वाहनों को कमच्छा से साई मंदिर की तरफ मोड़ दिया जायेगा जो आकाशवाणी होते हुये महमूरगंज के रास्ते अपने गंतव्य को जायेंगे।
2. लक्सा से रथयात्रा की तरफ जाने वाले समस्त वाहनों को गुरूबाग तिराहे से नीमामाई तिराहे की तरफ मोड़ दिया जायेगा जो कमच्छा तिराहा होकर अपने गंतव्य को जायेंगे।
3. सिगरा से रथयात्रा की तरफ जाने वाले समस्त वाहनों को सिगरा चौराहे से महमूरगंज की तरफ व सोनिया पुलिस चौकी की तरफ मोड़ दिया जायेगा, वहॉ से होकर अपने गंतव्य को जायेंगे।
4. महमूरगंज चौराहे से रथयात्रा की तरफ जाने वाले समस्त वाहनों को आकाशवाणी तिराहा से सिगरा की तरफ मोड़ दिया जायेगा, वहॉ से होकर अपने गंतव्य को जायेंगे।
5. सिगरा चौराहा, आकाशवाणी, नीमामाई तिराहा के समीप कार, आटो, ई-रिक्शा, मोटर साइकिल, पैडल रिक्शा एवं सभी प्रकार के वाहनों को पार्किंग में खड़ा करा दिया जायेगा।
6. एम्बुलेंस एवं शव वाहन इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
7. **यह डायवर्जन व्यवस्था दिनांक: 07.07.2024 से 10.07.2024 तक प्रत्येक दिन अपरान्ह 16.00 बजे से प्रात: 03.00 बजे तक लागू रहेगा।**

भारी वाहनों ट्रक इत्यादि हेतु पूर्ण प्रतिबन्ध/डायवर्जन व्यवस्था निम्न प्रकार होगी:-

1. जिन भारी वाहनों (ट्रक इत्यादि) को मण्डुवाडीह तक आना है, वह नो-इन्ट्री खुलने के बाद मोहनसराय, रोहनियॉं, चॉंदपुर मुढ़ैला होते हुए मण्डुवाडीह तक आ सकते हैं।
2. जिन भारी वाहनों (ट्रक इत्यादि) को सिगरा तक आना है कि वह नो-इन्ट्री खुलने के बाद मोहनसराय, रोहनियॉं, चॉंदपुर, लहरतारा, धर्मशाला, इंग्लिशिया लाइन, मलदहिया होते हुए सिगरा तक आ सकते हैं।
3. जिन भारी वाहनों (ट्रक इत्यादि) को सिगरा क्षेत्र से हरहुआ होकर अथवा बाबतपुर जाना होगा, वह वाहन नो-इन्ट्री खुलने के बाद सिगरा, मलदहिया, चौकाघाट, ताड़ीखाना पुलिस लाइन चौराहा, भोजूबीर, गिलट बाजार, तरना, हरहुआ होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
4. मण्डुवाडीह से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों के लिए आकाशवाणी तिराहा से रथयात्रा चौराहे तक जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा सिगरा चौराहे से रथयात्रा तक जाने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबन्ध रहेगा।

अपर पुलिस उपायुक्त यातायात,
कमिश्नरेट वाराणसी।